तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 41/2023 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2023/63)

अनवानः

1. जगतार सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जट सिख निवासी 6 डी.डी. पुराना वार्ड नंबर 5 नया वार्ड नं. 6 तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. सुनीता देवी बेवा राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी 22 ए.एस.बी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. अमन दीप पुत्री राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी 22 ए.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

4.8.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 पारित कर प्रकरण तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की। वर्तमान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलाधीन इंतकाल को बहाल रखा जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में दोनों पक्षकारों में समझौता हो गया है, इसलिए रेस्पोडेन्ट्स अपील को कन्टेस्ट करना नहीं चाहते। वादगत भूमि की खातेदारी काश्तकार रेस्पोडेन्ट सं. 8 शान्ति देवी बैवा रामचन्द थी, जिसने दिनांक 22.07.2022 को उक्त वादगत भूमि अपीलांट जगतार सिंह को बैय की थी तथा जगतार सिंह के नाम से इंतकाल संख्या 242 विधिसम्मत दर्ज हुआ था। रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण ने पारिवारिक रंजिश के कारण उक्त इंतकाल सं. 242 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी, जबकि इंतकाल सं. 242 कानून सम्मत अपीलांट के नाम चढ़ा था। अतः अपीलांट की अपील मंजूर की जाए तथा इंतकाल संख्या 242 मंजूर रखा जाए।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 पारित कर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 242 स्वीकृत दिनांक 26.08.2022 को खारिज कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड कर दिया। अभिभाषकगण के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कथनानुसार पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया है। रेस्पोडेन्ट अब इस अपील को कन्टेस्ट करना नहीं चाहते है। उक्त परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.08.2022 पुनः बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त
संभाग बीकानेर